सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
भाद्र 08, शुक्रवार, *शाके 1946*-अगस्त 30, *2024*	
Bhadra 08, Friday, Saka 1946- August 30, 2024	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर जुलाई 25, 2024

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/154 :-विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां अधिनियम) की धारा 61, 66, 86 (1)(ई) सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालीयों के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः

1 लघुशीर्षक, प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमाः

(1) ये विनियम ''राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024'' कहलायेंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. विनियम 12 में संशोधन:

मुख्य उप-विनियम 12.6 के उप-विनियम 12.6.1(क) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के नीचे निम्नलिखित नया तृतीय परन्तुक जोड़ा जायेगाः

''बशर्ते यह भी कि भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे शैक्षणिक संस्थान, जिन्होंने नेट मीटरिंग-व्यवस्था के विकल्प का चयन किया है, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दो माह की अवधि के लिये नेट बिलिंग के विकल्प का चयन कर सकते है, जिसके लिये उन्हें ऐसी अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।''

3. विनियम 8 में संशोधन:

(1) विद्यमान उप-विनियम 8.8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के संस्थापन के लिये, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा और अध्ययनों का परिणाम आवेदक को सूचित किया जायेगा, ऐसा न हो सकने पर यह माना जायेगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

बशर्ते कि 10 किलोवाट क्षमता तक की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकार किया माना जायेगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में कोई भी आनुपातिक वृद्धि, जो भी आवश्यक हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जायेंगी।''

(2) विद्यमान उप-विनियम 8.12 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की संस्थापना के पश्चात्, उपभोक्ता ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संस्थापना प्रमाण-पत्र जमा करेगा और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी संस्थापना प्रमाण-पत्र जमा होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कनेक्शन करार पर हस्ताक्षर, मीटर की संस्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की सफल शुरूआत को पूर्ण करेगा।

कनेक्शन करार और संस्थापना प्रमाण-पत्र के प्रारूपों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल पर रखा जायेगा।''

आयोग की आज्ञा से,

सचिव।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Notification

Jaipur, July 25 2024

No. RERC/Secy./Reg./154 - In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61, 66, 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other provisions enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission after previous publication, hereby makes the following Regulations for Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems:

1. Short title, commencement and extent of application:

(1) These Regulations will be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) (Second Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Amendment in Regulation 12:**

A new Third Proviso shall be added below the existing Second Proviso to the sub-regulation 12.6.1(a)of the main sub regulation 12.6 as under:

"Provided also that suchEducational Institutions,recognized by GoI/ GoR,which have opted for Net-Metering arrangement, may opt Net Billing for a period of any two months during a financial year, for which they have to intimate the distribution licensee before the commencement of such period."

3 **Amendments in Regulation 8:**

(1) The existing sub regulation 8.8 shall be substituted with the following:

"For installation of Renewable Energy Generating systems, the technical feasibility study shall be completed within a period of fifteen days and the outcome of the study shall be intimated to the applicant, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

Provided that the applications for Renewable Energy Generating systems upto 10 kW capacity complete in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be carried out by the Distribution Licensee."

(2) The existing sub regulation 8.12 shall be substituted with the following:

"After installation of Renewable Energy Generating system, the consumer shall submit the installation certificate to the Distribution Licensee and such Distribution Licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the Renewable Energy Generating system within fifteen days from the date of submission of the installation certificate. Formats of contract agreement and installation certificate shall be placed on web-portal of the Distribution Licensee."

By Order of the Commission

Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।